प्रकरण संख्या 3/2023 मणीलाल व अन्य बनाम श्रीमती निर्मला व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 10 से 16 के मूल पुरूष मनजी पिता गौतमा थे, जिनकी वंशावली प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार हैं। मनजी के स्वामित्व की आराजी नंबर 146, 147, 148, 203 कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा भूमि ग्राम भूंगडा, तहसील घाटोल में स्थित है। मनजी की मृत्यु पश्चात उनके पुत्र शंकर जी काबिज हुए। उक्त साबिक आराजी नंबर 146 व 148 के हाल नंबर 324 रकबा 0.83 हैक्टर कायम हुए, जिस पर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 10 से 16 काबिज चले आ रहे हैं। माह जुलाई 2021 को अप्रार्थी संख्या 1 से 9 ने उक्त आराजियात पर जरबन कब्जा करने की नियत से अनाधिकृत प्रवेश किया तथा कब्जा खाली करने की धमकी दी। जिस पर प्रार्थीगण ने पंजीयन कार्यालय से जानकारी की तो पता चला कि खसरा नंबर 324 रकबा 0.83 हैक्टर का विक्रय दिनांक 04.02.2019 को होना बताया। खसरा नंबर 324 के बटा नंबर 2330/324 रकबा 0.20 हैक्टर एवं 2332/324 रकबा 0.19 हैक्टर का अंकन किया जाकर नामान्तकरण संख्या 722 दिनांक 07.09.2022 में बेचान का उल्लेख किया गया। शंकरलाल की वृद्धावस्था एवं बीमारी का लाभ उठाकर धोखे से अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त विक्रय पत्र निष्पादित करवाया है, जबकि शंकरलाल द्वारा उक्त भूमि का कभी बेचान किया ही नहीं गया। उक्त विक्रय प्रार्थीगण की मुकाबले शून्य प्रभावी है। उक्त विक्रय की आड़ में अप्रार्थी संख्या 1 से 9 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 से 9 को अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.12.2022 को यह आदेश पारित किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 24/2021 बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया था, जिसका निस्तारण आज दिनांक को ही किया जाकर आराजी नंबर 23[illegible]/32[illegible] पर तहसीलदार घाटोल	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:08:11 IST
Reason: SelfAttested

को रिसीवर नियुक्त किया जा चुका है। वादग्रस्त आराजी एंव पक्षकार एक ही होने से वही आदेश इस पर भी लागू रहने से प्रार्थना पत्र का पृथक से निर्णय किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री समर पण्डया उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित भूमि पैत्रृक होने से अपीालन्टगण व रेस्पोन्डेन्ट 10 से 16 का जन्म से हक व अधिकार निहित है तथा मौके पर कब्जा चला आ रहा है, लेकिन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 ने अपीलान्ट के पिता शंकरलाल की वृद्धावस्था एवं बीमारी का नाजायज लाभ उठाकर कूटरचित तरीके से विक्रय पत्र निष्पादित करवा लिया, जो अपीालन्टगण के मुकाबले प्रारम्भ से शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने सर्वे नंबर 2331 पर रिसीवर नियुक्त कर दिया, जबकि उक्त भूमि के संबंध में किसी भी पक्षकार द्वारा कोई प्रार्थना नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिसीवर नियुक्त कर अपीलान्टगण को काश्त नहीं करने से पाबन्द करने में भारी भूल की है। पक्षकारों के मध्य घोषणा का दावा विचाराधीन है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा मूलवाद के निस्तारण तक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का रिसीवरी आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन कि[illegible]धीनस्थ न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:08:11 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्टगण के प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी संख्या 1 से 9 द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसके विशेष कथन में विपक्षीगण ने बताया कि ''अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध 188, 209 रा.का. अ. का वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी के वाद की विषय वस्तु समान होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।'' अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण के जवाबदावे व विशेष कथन के आधार पर यह आदेश पारित किया कि ''अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 24/2021 बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया था, जिसका निस्तारण आज दिनांक को ही किया जाकर आराजी नंबर 2331/324 पर तहसीलदार घाटोल को रिसीवर नियुक्त किया जा चुका है। वादग्रस्त आराजी एंव पक्षकार एक ही होने से वही आदेश इस पर भी लागू रहने से प्रार्थना पत्र का पृथक से निर्णय किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।'' प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 9 रजिस्टर्ड क्रेता है तथा उनके पक्ष में नामान्तकरण भी स्वीकृत हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए विवाद को रोकने हेतु रिसीवर नियुक्त किया है, जो विधि सम्मत है। अपीलान्टगण यदि अधीनस्थ न्यायालय के रिसीवरी आदेश से संतुष्ट नहीं थे तो उन्हें रिसीवर नियुक्ति के विरूद्ध पृथक से कार्यवाही करनी चाहिए था। इस अपील के माध्यम से रिसीवर नियुक्ति के आदेश को निरस्त किया जाना हम न्यायोचित नहीं समझते हैं। तद्नुसार अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 03/2023 निर्णय दिनांक 14.12.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:08:11 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:08:11 IST
Reason: SelfAttested